(वाद सं0– 6402/4/36/2022)

08.09.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, संजू देवी, की नाबालिग पुत्री, राधा कुमारी, के अपहरण से सम्बन्धित घटना की प्राथमिकी दर्ज करने तथा अपहृता की पुलिस द्वारा बरामदगी नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के न्यायालय में दिये गये परिवाद पत्र के आधार पर 06 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध परिवादी की पुत्री, राधा कुमारी, की साजिश के तहत गलत नियत से अपहरण कर लेने के आरोप में भा0द0स0 की धारा–363/366/376/120(बी) व 4/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नानपुर थाना काण्ड संख्या–544/2022, दिनांक–18.11.2022 संस्थित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार, काण्ड की अपहृता, राधा कुमारी, को बरामद किया जा चुका है तथा द0प्र0स0 की धारा–164 के अन्तर्गत न्यायालय में दिये गये ब्यान में उसका कथन है कि उसका विवाह सुधीर कुमार, के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार हुआ था। विदा होकर अपने ससुराल गई तो वह खुशी से रह रही थी, तभी उसके माता–पिता द्वारा प्रसंगाधीन झूठा केस कर दिया गया। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अपहृता की चिकित्सीय जाँच कराने हेतु उसे सदर अस्पताल, सीतामढ़ी ले जाया गया, जहाँ अपहृता राधा कुमारी, ने चिकित्सीय जाँच कराने से इंकार कर दिया। न्यायालय के आदेश पर काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अपहृता राधा कुमारी, को उसकी चचेरी बहन, पुनम देवी, के सुपूर्द कर दिया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रसंगाधीन काण्ड के समय काण्ड की अपहृता नाबालिग थी। प्रतिवेदनानुसार, अबतक के अनुसंधान में अपहृता, राधा कुमारी, के तथाकथित पति, सुधीर कुमार राय, ससुर,

कामेश्वर राय, की संलिप्तता को सत्य पाया गया तथा अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दोनों अभियुक्तों गिरफ्तार कर यथाशीघ्र अनुसंधान पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा न्यायालय के आदेश व पुलिस के अनुसंधान से असहमति व्यक्त की गई है।

अब जबकि प्रसंगाधीन काण्ड में पुलिस द्वारा अपहृता को बरामद कर, उसका द0प्र0स0 की धारा–164 के अन्तर्गत न्यायालय में ब्यान लिपिबद्ध कराया गया है तथा न्यायालय के आदेश पर उसे उसकी चचेरी बहन के सुपूर्द किया जा चुका है तथा काण्ड में संलिप्त दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश दिया जा चुका है तथा मामला अन्वेषणान्तर्गत है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त पर राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी अगर विचारण न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह इस सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन (पृष्ठ 09–08/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक